<u>**न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ**</u>

पीठासीन अधिकारीः— प्रकाश चन्द्र चौधरी आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 07/2016

अनवानः—

1 रूपसिंह पुत्र बलवीरसिंह जाति जटसिख सा. चक बूडसिंहवाला तह0 हनुमानगढ।
2 बोगा सिह पुत्र प्रताप सिंह (कलमजन आदेश दिनांक 5.8.16)
3 रेशम सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख सा. चक बूडसिंहवाला तह0 हनुमानगढ।
4 जगजीत सिंह पुत्र गुरबचनसिह जाति जटसिख सा. चक बूडसिंहवाला त.हनुमानगढ।
5 हरचरण सिंह पुत्र जगरूपसिंह जाति जटसिख सा. चक बूडसिंहवाला त. हनुमानगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1 ग्राम पंचायत सतीपुरा जरिय सरपंच ग्रा0पं0 सतीपुरा।
2 श्रीमती मलकीतकौर पत्नी हरवेल सिंह जाति जटसिख सा. चक बूडसिंहवाला तह0 हनुमानगढ।
3 गुरतेज सिंह पुत्र हरवेलसिंह जाति जटसिख सा. चक बूडसिंहवाला तह0 हनुमानगढ।

अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगरानी विरुद्ध संकल्प सं0 6 दि0 02.10.80 ग्राम पंचायत सतीपुरा

उपस्थितः— 1 श्री इन्दाज गोदारा अभिभाषक प्रार्थीगण ।
2 श्री राजेन्द्र मोटयार अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ।
3 श्री बलविन्द्र सिंह अभिभाषक अप्रार्थी सं. 2 व 3

प्रकरण सं. 08/2016

अनवानः—

1 रूपसिंह पुत्र बलवीरसिंह जाति जटसिख सा. चक बूडसिंहवाला तह0 हनुमानगढ।
2 बोगा सिह पुत्र प्रताप सिंह (कलमजन आदेश दिनांक 5.8.16)
3 रेशम सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख सा. चक बूडसिंहवाला तह0 हनुमानगढ।
4 जगजीत सिंह पुत्र गुरबचनसिह जाति जटसिख सा. चक बूडसिंहवाला त.हनुमानगढ।
5 हरचरण सिंह पुत्र जगरूपसिंह जाति जटसिख सा. चक बूडसिंहवाला त. हनुमानगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1 ग्राम पंचायत सतीपुरा जरिय सरपंच ग्रा0पं0 सतीपुरा।
2 हरदेव सिह पुत्र जगरसिंह जाति जटसिख सा. चक बूडसिंहवाला तह0 हनुमानगढ।

अप्रार्थीगण

निगरानी विरुद्ध संकल्प सं0 6 दि0 02.10.80 ग्राम पंचायत सतीपुरा

उपस्थितः— 1 श्री इन्दाज गोदारा अभिभाषक प्रार्थीगण ।
2 श्री राजेन्द्र मोटयार अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ।
3 श्री बलविन्द्र सिंह अभिभाषक अप्रार्थी सं. 2

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

प्रकरण सं. 09/2016

अनवानः–

1 रूपसिंह पुत्र बलवीरसिंह जाति जटसिख सा. चक बूडसिंहवाला तह0 हनुमानगढ।
2 बोगा सिह पुत्र प्रताप सिंह (कलमजन आदेश दिनांक 5.8.16)
3 रेशम सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख सा. चक बूडसिंहवाला तह0 हनुमानगढ।
4 जगजीत सिंह पुत्र गुरबचनसिह जाति जटसिख सा. चक बूडसिंहवाला त.हनुमानगढ।
5 हरचरण सिंह पुत्र जगरूपसिंह जाति जटसिख सा. चक बूडसिंहवाला त. हनुमानगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1 ग्राम पंचायत सतीपुरा जरिय सरपंच ग्रा0पं0 सतीपुरा।
2 श्रीमती तेजकौर पत्नी हरनेक सिंह जाति जटसिख सा. चक बूडसिंहवाला तह0 हनुमानगढ।
3 विरेन्द्र सिह पुत्र हरनेकसिंह जाति जटसिख सा. चक बूडसिंहवाला तह0 हनुमानगढ।

अप्रार्थीगण

निगरानी विरुद्ध संकल्प सं0 6 दि0 02.10.80 ग्राम पंचायत सतीपुरा

उपस्थितः– 1 श्री इन्दाज गोदारा अभिभाषक प्रार्थीगण ।
2 श्री राजेन्द्र मोटयार अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ।
3 श्री बलविन्द्र सिंह अभिभाषक अप्रार्थी सं. 2 व 3

प्रकरण सं. 10/2016

अनवानः–

1 रूपसिंह पुत्र बलवीरसिंह जाति जटसिख सा. चक बूडसिंहवाला तह0 हनुमानगढ।
2 बोगा सिह पुत्र प्रताप सिंह (कलमजन आदेश दिनांक 5.8.16)
3 रेशम सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख सा. चक बूडसिंहवाला तह0 हनुमानगढ।
4 जगजीत सिंह पुत्र गुरबचनसिह जाति जटसिख सा. चक बूडसिंहवाला त.हनुमानगढ।
5 हरचरण सिंह पुत्र जगरूपसिंह जाति जटसिख सा. चक बूडसिंहवाला त. हनुमानगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1 ग्राम पंचायत सतीपुरा जरिय सरपंच ग्रा0पं0 सतीपुरा।
2 श्रीहरलाभ सिंह पुत्र जीतसिंह जाति जटसिख सा. चक बूडसिंहवाला तह0हनुमानगढ।

अप्रार्थीगण

निगरानी विरुद्ध संकल्प सं0 2 दि0 02.10.80 ग्राम पंचायत सतीपुरा

उपस्थितः– 1 श्री इन्दाज गोदारा अभिभाषक प्रार्थीगण ।
2 श्री राजेन्द्र मोटयार अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ।
3 श्री बलविन्द्र सिंह अभिभाषक अप्रार्थी सं. 2

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

प्रकरण सं. 11/2016

अनवानः–

1 रूपसिंह पुत्र बलवीरसिंह जाति जटसिख सा. चक बूडसिंहवाला तह0 हनुमानगढ।
2 बोगा सिह पुत्र प्रताप सिंह (कलमजन आदेश दिनांक 5.8.16)
3 रेशम सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख सा. चक बूडसिंहवाला तह0 हनुमानगढ।
4 जगजीत सिंह पुत्र गुरबचनसिंह जाति जटसिख सा. चक बूडसिंहवाला त.हनुमानगढ।
5 हरचरण सिंह पुत्र जगरूपसिंह जाति जटसिख सा. चक बूडसिंहवाला त. हनुमानगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1 ग्राम पंचायत सतीपुरा जरिय सरपंच ग्रा0पं0 सतीपुरा।
2 श्री हरपाल सिंह पुत्र जीतसिंह जाति जटसिख सा. चक बूडसिंहवाला त. हनुमानगढ।

अप्रार्थीगण

निगरानी विरुद्ध संकल्प सं0 2 दि0 02.10.80 ग्राम पंचायत सतीपुरा

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज0)

उपस्थितः– 1 श्री इन्दाज गोदारा अभिभाषक प्रार्थीगण ।
2 श्री राजेन्द्र मोटयार अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ।
3 श्री बलविन्द्र सिंह अभिभाषक अप्रार्थी सं. 2

प्रकरण सं. 12/2016

अनवानः–

1 रूपसिंह पुत्र बलवीरसिंह जाति जटसिख सा. चक बूडसिंहवाला तह0 हनुमानगढ।
2 बोगा सिह पुत्र प्रताप सिंह (कलमजन आदेश दिनांक 5.8.16)
3 रेशम सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख सा. चक बूडसिंहवाला तह0 हनुमानगढ।
4 जगजीत सिंह पुत्र गुरबचनसिंह जाति जटसिख सा. चक बूडसिंहवाला त.हनुमानगढ।
5 हरचरण सिंह पुत्र जगरूपसिंह जाति जटसिख सा. चक बूडसिंहवाला त. हनुमानगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1 ग्राम पंचायत सतीपुरा जरिय सरपंच ग्रा0पं0 सतीपुरा।

2 श्री हरदीप सिंह पुत्र जगरसिंह जाति जटसिख सा. चक बूडसिंहवाला त. हनुमानगढ।

अप्रार्थीगण

निगरानी विरुद्ध संकल्प सं0 6 दि0 02.10.80 ग्राम पंचायत सतीपुरा

उपस्थितः– 1 श्री इन्दाज गोदारा अभिभाषक प्रार्थीगण ।
2 श्री राजेन्द्र मोटयार अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ।
3 श्री बलविन्द्र सिंह अभिभाषक अप्रार्थी सं. 2

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

प्रकरण सं. 13/2016

अनवानः—

1 रूपसिंह पुत्र बलवीरसिंह जाति जटसिख सा. चक बूडसिंहवाला तह0 हनुमानगढ।
2 बोगा सिह पुत्र प्रताप सिंह (कलमजन आदेश दिनांक 5.8.16)
3 रेशम सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख सा. चक बूडसिंहवाला तह0 हनुमानगढ।
4 जगजीत सिंह पुत्र गुरबचनसिह जाति जटसिख सा. चक बूडसिंहवाला त.हनुमानगढ।
5 हरचरण सिंह पुत्र जगरूपसिंह जाति जटसिख सा. चक बूडसिंहवाला त. हनुमानगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1 ग्राम पंचायत सतीपुरा जरिय सरपंच ग्रा0पं0 सतीपुरा।
2 रेशमसिंह पुत्र जगर सिंह जाति जटसिख सा. चक बूडसिंहवाला हाल श्यामसिंह कालोनी नजदीक पीरखाना हनुमानगढ जं0 तह0 हनुमानगढ।

अप्रार्थीगण

निगरानी विरुद्ध संकल्प सं0 6 दि0 02.10.80 ग्राम पंचायत सतीपुरा

उपस्थितः— 1 श्री इन्दाज गोदारा अभिभाषक प्रार्थीगण ।
2 श्री राजेन्द्र मोटयार अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ।
3 श्री बलविन्द्र सिंह अभिभाषक अप्रार्थी सं. 2

:—निर्णयः—

दिनांकः:— 04.01.2018

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त समस्त निगरानी प्रार्थना पत्र समान तथ्यों के साथ प्रस्तुत की गयी है। इसलिए इनका एक साथ निर्णय किया जा रहा है। निगरानी प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण चक बूडसिंहवाला के निवासी हैं। अप्रार्थी सं0 1 ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम बूड सिंहवाला में पुरानी आबादी के दक्षिणी तरफ सार्वजनिक स्थल की भूमि जो कि शौच स्थान के लिए आरक्षित थी का कतई गलत व विधि विरुद्ध रूप से आबादी भूमि का विक्रय विलेख अप्रार्थी सं0 2 के पक्ष में दिनांक 02.10.80 को जारी कर दिया जबकि इस सार्वजनिक स्थल परकिसी प्रकार का पटटे जारी करने का कोई अधिकारी ग्राम पंचायत को नहीं था लेकिन उनके द्वारा कतई गलत व विधिविरुद्ध इस आरक्षित स्थल का पटटा/विक्रय विलेख जारी किया गय है जिसे अपास्त कराने के लिए निम्न आधारों पर प्रा0पत्र प्रस्तुत हैः--

क— यह कि उपरोक्त आबादी भूमि का पटटा/विक्रय विलेख जारी करते वक्त ग्राम पंचायत द्वारा इस सबंध में दिये गये प्रावधानों की कोई पालना नहीं करते हुए कतई गलत अप्रार्थी सं. 2 को अनुचित फायदा देने की गर्ज से ग्राम पंचायत में

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

संकल्प दिनांक 02.10.80 को लिया गया है जो कि पंचायत अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण प्रथम दृष्टया ही अपास्त होने योग्य है।

ख– यह कि उपरोक्त आबादी भूमि का पटटा/विक्रय विलेख सार्वजनिक स्थल की भूमि पर जारी करने का कोई अधिकार ग्राम पंचायत को नही था नाही सार्वजनिक स्थल के लिए आरक्षित भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ काम में लेने की कोई अधिकारिता तत्समय ग्राम पंचायत को प्राप्त नहीं थी।

ग–यह कि उपरोक्त आबादी भूमि का पटटा/विक्रय विलेख जारी करते वक्त पंचायत अधिनियम में दिये गये प्रावधानों की पालना नहीं की गयी व ना ही इस संबंध में कोई नोटिस जार किया गया व निलामी की कार्यवाही भी पूर्णतया छुपे तौर पर करके इस नीलामी का कोई अनुमोदन सक्षम अधिकारी से करवाए बिना ही ग्राम पंचायत ने संकल्प लेकर अहम कानूनी भूल की है।

घ–यह कि उपरोक्त पटटा/विक्रय विलेख जारी करते वक्त मूल्य का कोई आधार नहीं लिया गया व मात्र 260/– रूपये में ही पटटा जारी कर दिया जो कि किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं है व ना ही तत्समय प्रचलित दरों में इतनी कम राशि में पटटा जारी किये जाने का कोई प्रावधान था।

ड़– यह कि उपरोक्त पटटा/विक्रय विलेख जारी करते वक्त आरक्षित भूमि का किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं करवाया गय है जबकि कानूनन भी सार्वजनिक कार्य के लिए आरक्षित भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तन करने का काई प्रावधान पंचायत अधिनियम में नहीं है।

च–यह कि विवादित पटटा पर सरपंच सतीपुरा की मोहर अंकित है लेकिन उस पर हस्ताक्षर कासमअली नाम के व्यक्ति के हैं जबकि उस समय सरपंच श्री नन्द सिंह थे। इस प्रकार उक्त पटटा फर्जी व कूटरचित है।

निगरानीधीन पटटा/विक्रय विलेख की जानकारी प्रार्थीगण को सर्वप्रथम 17.6.16 को हो पाई। जानकारी से निगरानी अन्दर मियाद है। अतः ग्राम पंचायत सतीपुरा के संकल्प दिनांक 02.6.80 अपास्त किया जाकर पटटा निरस्त किया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक न्यायालय मे उपस्थित आये। ग्राम पंचायत का रिकार्ड तलब कर सलंग्न किया गया ।

धारा 5 मियाद अधिनियम की बहस सुनी जाकर आदेश दिनांक 26.8.16 से निगरानी अन्दर मियाद मानी गयी।

अन्तिम बहस सुनी गयी। अभिभाषक निगरानीकर्ताओं ने बहस में प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि प्रश्नगत पटटे सार्वजनिक

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

स्थल पर जारी किये गये हैं जिसकी अधिकारिता ग्राम पंचायत को नहीं थी व बहुत ही कम कीमत पर पटटे जारी किये गये हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जावे। बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त डीएनजे (राज0) 2001 पेज 296,डीएनजे (राज0)2013 पेज 177, 2008(3)डीएनजे (राज0) पेज 1627, डीएनजे(राज0) 1999 पेज 672 प्रस्तुत किये गये।

अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अपनी बहस में तर्क किया कि ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत रूप से पत्रावलियां संधारित कर सार्वजनिक आपति जारी कर व मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर ही ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण के नाम पटटे जारी किये गये हैं। इसलिए निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जावें।

अभिभाषक अप्रार्थी सं. 2 व 3 द्वारा अपनी बहस में तर्क किया कि प्लाट सं. सी–35 के बाद में पटटे नहीं काटने की बात का समर्थन नहीं किया क्यों कि इसी जगर पर पटटे काटे हैं ये प्लाट इसी जगह पर है प्रमाणित नहीं है। शौच स्थान के लिए आरक्षित होने का यह अर्थ नहीं कि यहां पटटे नहीं कट सकते या विकास कार्यो के लिए ग्राम पंचायत काम में नहीं ले सकती यह सिद्ध नहीं है। साथ ही यह भी तर्क कि ग्राम पंचायत दो मामलों में ऐसी भूमि नहीं बेच सकती जो सार्वजनिक रास्ता या गुबाड़ के लिए आरक्षित हो। परन्तु यहां ऐसा नहीं है । खुले में शौच जाने का कोई प्रावधान नहीं है। पट्टे जारी करते समय प्रक्रिया का कोई उल्लंघन नहीं किया गया । वर्ष 1980 से जारी पटटों को आज 36 वर्ष बाद निरस्त किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

अभिभाषक अप्रार्थी की बहस के विरोध में अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा तर्क किया कि सार्वजनिक स्थल पर पटटे जारी करने की अधिकारिता राज्य सरकार को है ना कि ग्राम पंचायत को है।

बहस पर मनन किया गया व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड , ग्राम पंचायत के रिकार्ड व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीयान द्वारा प्रस्तुत निगरानी के मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर चुनौती दी गयी है।

1– यह कि अप्रार्थी को सार्वजनिक स्थगल के पटटे जारी किये गये हैं जबकि ग्राम पंचायत को आरक्षित जगह का पटटा जारी करने की अधिकारिता नहीं थी।

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

2– विक्रया विलेख जारी करते समय वसूल की गयी कीमत को कोई आधार नहीं किया गया है।

3– जारी शुद्धा पटटों पर सरपंच की मोहर पर हस्ताक्षर कासम अली नाम के व्यक्ति हैं जबकि उस समय सरपंच श्री नन्द सिंह थे।

ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड में प्रश्नगत पटटों का नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया । पटटों पर हस्ताक्षर कासमअली के होने के संबंध में अप्रार्थीयान स्थिति स्पष्ट नहीं कर सके । अतः उक्त तीनों बिन्दुओं की जांच करने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। ऐसी स्थिति में निगरानी अधीन पटटा विलेख जो सकल्प सं0 2 दिनांक 02.4.80 जो हरपाल सिंह ,संकल्प सं. 6 दिनांक 02.10.80 जो सुखदेव सिंह, हरदेव सिंह, हरनेक सिंह, हरलाभ सिंह, हरवेल सिंह, हरदीप सिंह के नाम जारी किये गये है को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण पंचायत समिति हनुमानगढ को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त तीनों बिन्दुओं की विधिवत जांच कर संबंधित पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति सहित ग्राम पंचायत का रिकार्ड वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र चौधरी)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़